

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक- 1055/बन्दो0 दिनांक 03.09.2022 के द्वारा श्रीमती श्वेता रानी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.-SKN00684) के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक- 2680 दिनांक 29.09.2022 द्वारा श्रीमती श्वेता रानी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप संविदा नियोजन समाप्ति के विरुद्ध तीन (03) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है।

श्रीमती रानी द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समय के अन्दर समर्पित किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया, अवलोकनोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अनाधिकृत अनुपस्थिति के संदर्भ में उल्लेख किया है कि वे दिनांक 15.11.2021 से मानसिक तनावग्रस्त होने के कारण अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रही हैं। अनुपस्थिति के संदर्भ में यह भी अंकित किया गया है कि आकस्मिक दुर्घटना में गिरने एवं चोट लगने के कारण हडडी रोग से पीड़ित हो गई और एतद् संबंधी सूचना विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को दूरभाष से जानकारी दे दी थी। साथ ही अपनी सेवा जारी रखने का भी उल्लेख किया है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा तदनुसार कारणपृच्छा एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षणोपरान्त पाया गया कि ये दिनांक 21.11.2021 से बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रही हैं। अगर ये वास्तविक रूप से किसी प्रकार की कठिनाई में थी तो इन्हें विधिवत बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचना देनी चाहिए थी और उनसे देय अवकाश आदि का अनुरोध करना चाहिए था जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया है। मात्र यह कहना कि मैंने विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचित किया था, जिसे मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई ऐसा साक्ष्य इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इनके कृत्यों से यह स्पष्ट होता है कि इन्हें सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के प्रति संवेदनशील नहीं है और न ही कार्यों के प्रति कोई रुचि है। स्पष्टीकरण समर्पित करने की तिथि तक कार्य पर योगदान दिये जाने कोई सूचना नहीं है, जो एक गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसकी पूरा करने की अवधि निर्धारित है। अतएव भू-सर्वेक्षण कार्य पर कुप्रभाव पड़ने के दृष्टिगत इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली- 2019" के नियम 8(4) के तहत बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती श्वेता रानी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.- SKN00684) का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) बेगूसराय-20/2022..... पटना, दिनांक : 21/07/2022

प्रतिलिपि :- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को उनके पत्रांक- 1055/बन्दो0 दिनांक 03.09.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) बेगूसराय-20/2022...3008 पटना, दिनांक : 21/10/2022
प्रतिलिपि :- श्रीमती श्वेता रानी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID No.- SKN00684) बन्दोबस्त कार्यालय,
बेगूसराय, E-mail Id- pwar.sweta@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) बेगूसराय-20/2022...3008 पटना, दिनांक : 21/10/2022
प्रतिलिपि :- प्रभारी आई0 टी0 कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण को सूचनार्थ एवं निदेशालय के
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण